आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Adi Dravidar Welfare and Scheduled Tribes Welfare Department, Puducherry

Financial Assistance for marriage of poor S.C. brides

पुडुचेरी गरीब अनुसूचित जाति के माता-पिता को बेटी की शादी में मदद के लिए 15,000 रुपये देता है।

क्या मिल सकता है

बेटी की शादी के लिए 15,000 रुपये, एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के लिए।

किसके लिए है

पुडुचेरी के गरीब अनुसूचित जाति के माता-पिता या अभिभावक जो पहली बार बेटी का विवाह कर रहे हैं।

मुख्य शर्तें

- माता-पिता या अभिभावक की सालाना आय 2,00,000 रुपये से ज्यादा न हो।
- माता-पिता या अभिभावक भारत के नागरिक और पुडुचेरी के मूल निवासी हों।
- मदद केवल वधू की पहली शादी के लिए है और एक परिवार की सिर्फ दो बेटियों के लिए।
- वधू कम से कम 18 साल की और वर कम से कम 21 साल का हो, और विवाह कानून के अनुसार हो।
- उसी विवाह के लिए किसी अन्य स्रोत से मदद न ली गई हो।
- शादी की तारीख से 30 दिन पहले आवेदन करें और शादी के 60 दिन के बाद नहीं।

दस्तावेज़

- पहचान का प्रमाण
- सक्षम अधिकारी से जाति, आय और निवास सह मूल निवास प्रमाणपत्र
- सांसद, विधायक, नगरपालिका आयुक्त या कम्यून पंचायत से पहली शादी का प्रमाणपत्र

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://py.gov.in/sites/default/files/adwfinancial-assistance-marriage-poor-s.c.brides.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/puducherry/py-sc-poor-bride-marriage-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।